पंचदश बिहार विधान सभा

चतुर्दश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक 09.07.2014 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री अरूण शंकर प्रसाद, स०वि०स० श्री संजय सिंह (टाइगर), स०वि०स० श्री कन्हैया कुमार, स०वि०स० श्री कुमार शैलेन्द्र, स०वि०स० श्री राम नरेश यादव, स०वि०स०	"बिहार सरकार के अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित बिहार महादलित मिशन के लिए टेंडर निकाला गया । दिनांक 31.05.2012 को विभाग ने ब्रिटिश लिंग्वा नामक संस्थान को पटना, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर के दलित और महादलित छात्रों की ट्रेनिंग के लिए टेंडर पास किया, 07.05.2013 को इसी कम्पनी को विभाग द्वारा 22 जिलों का टेंडर फिर से मिला । योजना के मुताबिक प्रत्येक छात्र को पाँच सौ रूपया के हिसाब से तीन महीने तक स्टाइपेंड मिलना था परन्तु छात्रों के कोर्स की समाप्ति के एक वर्ष बाद भी अधिकांश छात्रों को आज तक स्टाइपेंड नहीं मिला है । इस मद में 30.08.2013 को 6 करोड़ 48 लाख 60 हजार रूपये और 13.02.2014 को 7 करोड़ 81 लाख 20 हजार रूपये निर्गत किया जा चुका है । जिससे सूद कमाया जा रहा है । अत: उक्त छात्रों के बकाया छात्रवृत्ति (स्टाइपेंड) दिलाने एवं उक्त ब्रिटिश लिग्वा संस्था के विरूद्ध कारवाई के लिए हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	अनुसूचित जाति / जनजाति कल्याण विभाग

1	2	3	4
2.	श्री तार किशोर प्रसाद, स०वि०स० श्री विभाष चन्द्र चौधरी, स०वि०स० श्रीमती सुखदा पांडेय, स०वि०स० श्री महेश पासवान, स०वि०स० श्री सुनील कुमार पिन्टू, स०वि०स०	"ग्रामीण कार्य प्रमंडल, कटिहार में प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना अन्तर्गत वर्ष 2007 में केन्द्रीय कार्य एजेंसी एन०बी०सी०सी० द्वारा हसनगंज से द्वासय गांव 8.125 कि०मी० एवं छीटाबाड़ी-सोनैली पथ से मेहदई गांव 2.61 कि०मी० तक ग्रामीण पथ का सुदृढ़ीकरण एवं कालीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ था, लेकिन सात वर्षों बाद भी आज तक पथ का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है । साथ ही, पथ का निर्माण कार्य प्राक्कलन के अनुसार एवं गुणवत्तापूर्ण नहीं होने के कारण सड़क की स्थिति जर्जर हो चुकी है एवं निर्माण कार्य भी अधूरा है जिससे ग्रामीणों को आवागमन में भारी कठिनाई हो रही है । अत: दोनों महत्वपूर्ण ग्रामीण पथों का निर्माण कार्य प्राक्कलन के अनुसार एवं गुणवत्तापूर्ण कराने तथा केन्द्रीय कार्य एजेंसी एन०बी०सी०सी० पर कार्रवाई करने हेतु हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।	ग्रामीण कार्य

हरेराम मुखिया
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-16/14- 1008 / वि०स०, पटना, दिनांक- 08 जुलाई, 2014 ई० ।

प्रति :- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / अनुसूचित जाति / जनजाति कल्याण विभाग तथा ग्रामीण कार्य विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

8/7/14
(नियाज अहमद)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-16/14- 1008 / वि०स०, पटना, दिनांक- 08 जुलाई, 2014 ई० ।

प्रति :- अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अपर आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

8/7/14
(नियाज अहमद)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।